

निगं 6005/2018/रीवा/भूस्व

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.कैम्प रीवा म.प्र.



रामनिरंजन पिता रामसखी निवासी मालातर तहसील मऊगंज जिला-
रीवा म.प्र. — आवेदक

अधी श्री शशी
वठेय डाटा वशा
01.10.18

राजस्व मण्डल म.प्र. कैम्प
(सिकेट कोर्ट रीवा)

के बनाम

रमेश कुमार तनय स्व. ददनराम ब्रा. निवासी मालातर, तह. मऊगंज
जिला- रीवा म. प्र. — अनावेदक

मान्नीय तहसीलदार वृत्त सीतापुर तह.
मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 25 अ 6 अ
/17-18 आदेश दिनांक 28.08.2018 के
विरुद्ध निगरानी

मान्यवर,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू- रा.
संहिता सन 1959 ई.

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:-

- 1- यह कि अधी. न्यायालय द्वारा किया गया आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि तरमीम के सुधार बावत आवेदन उत्तरवादी द्वारा अधी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं संयुक्त भूमिस्वामी होने के

56

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-6005-शीषा/1/18 जिला-रीवा

राम निरंजन विरुद्ध रमेश कुमार वा.

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>शशी पाठडेप</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयन तहसीलदार / सज्ज्व निसिक्त, तहसील <u>मक्राज</u> के प्रकरण क्रमांक <u>25/116/18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>28-8-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>6-3-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]